हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2005

संख्या पी०सी०पी०(एन सी आर) / के०एम०पी० / सी०ए०जी०(बी०) / 2005 / 1310 — पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निर्मित समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में विनिदिंष्ट और इसके साथ संलग्न नक्शे में दिखाए गये अनुसार गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143, जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के दो किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थातः—

अनुसूची

गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143, जिला गुड़गांव के राजकीय उच्च विद्यालय के दो किलोमीटर दूरी तक के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 985/2002 दिनांक 4 मार्च, 2002, के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करके अर्थात गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की आयत संख्या 10 की उत्तरी पश्चिमी कोना फिर गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की उत्तरी सीमा के साथ–2 तथा पूर्व की ओर उसके साथ गांव उदयपुरी, हदबस्त संख्या 144 की उत्तरी—पश्चिमी सीमा बिन्दु 'बी' तक अर्थात गांव उदयपुरी, हदबस्त संख्या 2 का उत्तरी कोना जहां गांव पाडा हदबस्त संख्या 5 की सीमा से मिलती है।

पूर्वः बिन्दु 'बी' से दक्षिण की ओर चलकर गांव उदयपुरी, हदबस्त संख्या 144 की आयत संख्या 2,6,10,13,18,19,24 की पूर्व सीमा के साथ–2 'सी' तक अर्थात गांव उदयपुरी हदबसत संख्या 144 की आयत संख्या 24 का दक्षिणी–पश्चिमी कोना।

दक्षिण: बिन्दु 'सी' से पश्चिम की ओर चलकर गांव उदयपुरी , हदबसत संख्या 144 की आयत संख्या 25 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की आयत संख्या 85, 6, 87, 104 से 108, 113, 112, 110, 111, 98, 97, 96, 95 की दक्षिणी सीमा के बिन्दु 'डी तक अर्थात जंक्शन, जहां गांव उन्टो, हदबस्त संख्या 33 व भूड़का, हदबस्त संख्या 142 और गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की सीमायें आयत संख्या 95 पर मिलती है।

पश्चिमः बिन्दु 'डी' से उत्तर की ओर गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 की आयत संख्या 95, 74, 70, 50, 43, 25 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 फिर पूर्व की ओर आयत संख्या 25 की उत्तर की तरफ आयत संख्या 19 की पश्चिमी सीमा के साथ जहां यह पटौदी रोड़ पर मिलती है। फिर उत्तर गांव पथरेड़ी, हदबस्त संख्या 143 आयत संख्या 10 की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ए' तक अर्थात प्रारम्भिक बिन्दु।

शकुन्तला जाखू, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 5th August, 2005

No. CCP(NCR)/KMP/CAG/(b)/2005/1310.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Un-regulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres on the outer side of the boundary of Government High School, Village Pathrari, Hadbast No. 143, district Gurgaon, as specified in the schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area within a distance of two kilometres on the outer side of the boundary of Government High School, Village Pathrari, Hadbast No. 143, district. Gurgaon to be read with the Drawing No DTP(G) 985/2002, dated the 4th March ,2002.

- North:-Starting from point "A" i.e. the north-western corner of RectangleNo. 10 of revenue estate of village Pathrari, Hadbast No. 143, thence towards north-east along northern boundary of village Pathrari, Hadbast No. 143, thence towards south -east along northern boundary of village Pathrari Hadbast No. 143 upto point 'C' where it meets the north-west boundary of village Udaypuri, Hadbast No.144, thence towards north-east along northern boundary of village Udaypuri, Hadbast No. 144 upto point 'B'.
- **East:-** Moving from point 'B' towards south along eastern boundary of Rectangle Nos. 2,6,10,13,18,19 and 24 of village Udaypuri, Hadbast No. 144 upto point 'C' i.e. south western corner of Rectangle No. 24 of village Udaypuri, Hadbast No. 144.
- **South:-** Moving form point 'C' towards west along the southern boundary of Rectangle No. 25 of village Udaypuri Hadbast No.144, southern boundary of Rectangle Nos. 85,86,87,104, to 108,113,112,110,111,98,97,96 and 95 of village Pathrari, Hadbast No. 143 upto point 'D' i.e. tri-junction point where boundary of village Uton, Hadbast No. 33 village Ghudka, Hadbast No. 142 and village Pathrari, Hadbast No. 143 meets at rect. No. 95 of village Pathari, Hadbast No. 143.
- West:- Moving form point 'D' towards north along the western boundary of Rectangles No. 95,74,70,50,43 and 25 of village Pathrari, Hadbast No. 143, thence towards east along the northern boundary of Rectangle No. 25, thence towards north along the western boundary of Rect No.19 where it meets Pataudi road, thence towards north along western boundary of Rectangle No. 10 of village Pathrari, Hadbast No. 143 upto point'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.